

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी

छगनलाल पुत्र छोगाजी जाति रावल  
निवासी अरठवाडा तह0 शिवगंज  
जरिये पॉवर ऑफ एटार्नी होल्डर  
श्री अशोक कुमार रावल पुत्र  
गौरीशंकर रावल निवासी पालडी  
आर तहसील व जिला सिरोही  
विद्वान अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा

प्रतिवादीगण

1. श्रीमती लीला पत्नी भंवरलाल जाति माली  
निवासी पालडी जोड तह0 सुमेरपुर जिला  
पाली हाल निवासी 16 मुनियप्पा स्ट्रीट  
कोण्डीतोपी चेन्नई तमिलनाडू
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार  
शिवगंज  
विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल गहलोत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 26/2023


—:निर्णय:—

दिनांक 30.04.2025

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिकी कमांक 350 दिनांक 05.06.2024 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्राक/कोर्ट/2024/701 दिनांक 04.12.2024 से वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त आराजी मौजा अरठवाडा पटवार हल्का अरठवाडा के खसरा नं0 360 कुल रकबा 1.7321 हेक्टर भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमें उनके द्वारा सहमति प्रदान की गई।


अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिकी किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। आपसी सहमति से पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिकी पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

  
सहायक कलक्टर  
(नीरज मिश्र)  
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
शिवगंज (सिरोही)  
दिनांक 30.04.2025

कमांक/कोर्ट/2025/245  
प्रतिलिपि पालनार्थ:-  
तहसीलदार, शिवगंज।



  
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
सहायक कलक्टर  
शिवगंज (सिरोही)

